

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.न. 6/12

तारीख रज् 12.1.12

उन्वान - तोताराम के.व. / S मोहनलाल के.व.

दावा - बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल एडवोकेट ने दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। अवलोकन किया गया। प्रतिवादी जाणको जरिये सम्मन तत्पत्र करें। दावा दर्ज रजिस्टर नं. दिनांक 15-2-12 को पेश हो।

75-87
13-1-12

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (कै.सी)

2/12


वादी वकील उप. प्रतिवादी नम्बर 8, 9, 11 बावजूद सूचना प्राप्त नहीं अनेक विकल्प एडवोकेट कार्यालयी के आदेशों से जाते हैं। प्रतिवादी नम्बर 13 का सम्मन वाद तामील प्राप्त ही हुआ है। प्रतिवादी नम्बर 1 से 7, की ओर से श्री सुरेश शर्मा एडवो. तथा प्रति. नं. 10 की ओर से श्री नरेन्द्र तोशी एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया। वस्तु जवाब - वस्तु जवाब तामील दिनांक 20-3-12 को पेश हो।


3/12


वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 13 का सम्मन प्राप्त तामील प्राप्त नहीं। वकील वादी प्रतिवादी नं. 13 का सम्मन तामील पेश करें। प्रति. नं. 1 से 7, 10 की ओर से पेश हो जवाब दिनांक 17-4-12 को पेश हो।


यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

6.4.17 वकुलाय उपस्थित / गतनुसार दिनांक 1.5.17 को पेश हो 


5.12. वकुलाय उप. / गतनुसार - याय आपके दफ्तर कैम्प गजकपुरा में दिनांक 16.5.17 को पेश हो 


16.5.17 चनायली दानसु लोक अदालत अधिकारी गजकपुरा को पेश हुई। आदेश दिनांक 12.7.17 को पेश हो 

2.7.17 वकुलाय उपस्थित पीठासन अधिकारी कैम्प में पेश हैं। अतः चनायली गतनुसार दिनांक 26.7.17 को पेश हो 

निष्पत्तीपत्र

17.7.17

वादी एवं वादी वकील ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मिसल तलाबी एवं पक्षकारान में राजीनामा हो जाने से मुकदमा खारिज करने पेश किया। प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलाब की गई। वादी एवं वादी वकील ने कथन किया कि पक्षकारान में राजीनामा हो गया है मुकदमा डोगे चलाना नहीं चाहते हैं। मुकदमा खारिज कर दिया जावे। वादी एवं वादी वकील के Not Press करने से मुकदमा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुभा होकर जम्मा से काम होकर दायिल दफता हो। 

Not Press
होता राम 

जयदीप आर्य
जयलक्ष्मी
दंडाधिकारी